न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 91 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. कानाराम पुत्र गिसराराम
2. भबुताराम पुत्र गिसराराम

जातियान माली निवासीयान सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

रेसपोडेंटगण

1. कालुराम पुत्र पारसराम
2. चौथाराम पुत्र शंकरराम
3. जोगाराम पुत्र मांगीया
4. देमाराम पुत्र मांगीया
5. पारसमल पुत्र पेमाराम
6. भैराराम पुत्र मांगीया
7. लेहरो पत्नी मांगीया
8. शंकरराम पुत्र पेमाराम जातियान माली निवासी सिवाना
9. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सिवाना
10. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 30 / 2019 बअनवान कानाराम बनाम कालुराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.12.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री अचलाराम थोरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कैलाश पुरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 04.08.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सिवाना में खेत पुराने खसरा संख्या 537 रकबा 32.07 बीघा का मेहराबखां पुत्र उम्मेदखां की खातेदारी का था, सन् 1963 में समेलाजी के दोनो पुत्रो पेमाराम व मिश्राजी जो अलग अलग रहते थे ने मिलकर उपरोक्त खसरे की भूमि 1/2—1/2 हिस्से में खरीद कर भूमि का प्रतिफल दोनो भाईयों ने विक्रेता को अदा किया। पेमाराम ने अपने नाम के साथ साथ अपने आधे हिस्से में शंकर पासर, मागीया का नाम सहवंश से लिखा दिया, जबकि वक्त खरीद शंकर पासर मागीया नाबालिग थे, इसलिये उनके पास आमदनी का कोई जरीया नहीं थे, जिससे वे भूमि खरीद कर सके, खरीदसुदा भूमि में मिसरा जी का 1/2 हिस्सा था, खरीद के आधार पर नामांतकरण संख्या 183 भरा गया, म्युटेशन के जरीये राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में नाम दर्ज हुआ, बाद रेकर्ड में अमलदरामद मौके दोनों ही अपने—अपने हिस्से पर काबिज थे। तदोपरांत सिवाना

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खालसा गांव होने से द्वितीय सेटलमेंट प्रभाव में आया, द्वितीय सेटलमेंट प्रभाव में आने के बाद उक्त पुराने खसरा संख्या 537 के नये खसरा संख्या 772 रकबा 21.13 बीघा दर्ज हुआ, राजस्व रेकर्ड में सीधे ही पेमाराम, शंकर, पारस, मांगीया, मिश्रा, इन सब को समेलाजी का बेटा होना दर्ज करवा दिया, जो अशुद्ध था, क्योंकि शंकर पारस, मांगीया समेलाराम के बेटे नही होकर पेमाराम के बेटे थे, उक्त त्रुटि को राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त करने के संबंध में शुद्धि पत्र संख्या 3 पारित करवाया, किन्तु राजस्व रेकर्ड में पेमाराम व मिश्राराम के परिवार का हिस्सा अलग अलग नहीं था, इसलिये इस संबंध में एक राजस्व वाद पेश किया गया जिसमें पेमा, पारस, लहरो ने इकबाली जबाव पेश किया, उक्त प्रकरण में राजीनामा हो गया था इसलिये अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं किये इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को दिनांक 30.11.1999 को खारीज करते हुए यह आदेश दिये गये कि नियमानुसार सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ सक्षम न्यायालय में वाद पुनः प्रस्तुत कर सकते है। उक्त निर्णय की पालना में अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट चौथाराम, जोगाराम, देमाराम, भेराराम, लेहरोदेवी, शंकरराम ने तो अपीलांटगण के वाद पत्र को स्वीकार कर माफिक इस्तदुआ वाद डिक्री करने में कोई आपति नहीं होने के कथन करते हुए जबावदावा पेश किया। किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 व 05 के अधिवक्ता ने धारा 11 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र इस आशय का पेश किया कि, उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में में सन् 1997 में वादी के पिता मिसराराम द्वारा वाद पत्र पेश किया थे जो दिनांक 30.11.1999 को पूर्ण रूप से निर्णित किया गया, अब मिसराराम के देहान्त के बाद उसी वादग्रस्त आराजी के संबंध में नया वाद हेतुक तैयार कर झुठा वाद पत्र पेश किया है, जो रेसज्युडीकेटा से बाधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय तकनीकी बिंदुओं पर पारित किया गया जबकि प्रकरण में तनकीयात कायम कर तनकी वार साक्ष्य ली जाकर निर्णय पारित करना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि मौजा सिवाना में खेत पुराने खसरा संख्या 537 रकबा 32.07 बीघा का गेहरावखां पुत्र उमेदखां की खातेदारी का था, सन् 1963 में समेलाजी के दोनो पुत्रो पेमाराम व मिश्राजी जो अलग अलग रहते थे ने मिलकर उपरोक्त खसरे की भूमि 1/2–1/2 हिस्से में खरीद कर भूमि का प्रतिफल दोनो भाईयों ने विक्रेता को अदा किया। खरीदसुदा भूमि में मिसरा जी का 1/2 हिस्सा था, खरीद के आधार पर नामांतकरण संख्या 183 भरा गया, म्युटेशन के जरीये राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में नाम दर्ज हुआ, बाद रेकर्ड में अमलदरामद मौके दोनों ही अपने–अपने हिस्से पर काविज थे। तदोपरांत सिवाना खालसा गांव होने से द्वितीय सेटलमेंट प्रभाव में आया, द्वितीय सेटलमेंट प्रभाव में आने के बाद उक्त पुराने खसरा संख्या 537 के नये खसरा संख्या 772 रकबा 21.13 बीघा दर्ज हुआ, राजस्व रेकर्ड में सीधे ही पेमाराम, शंकर, पारस, मांगीया, मिश्रा, इन सब को समेलाजी का बेटा होना दर्ज करवा दिया, जो अशुद्ध था, क्योंकि शंकर पारस, मांगीया समेलाराम के बेटे नही होकर पेमाराम के बेटे थे, उक्त त्रुटि को राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त करने के संबंध में शुद्धि पत्र संख्या 3 पारित करवाया, किन्तु राजस्व रेकर्ड में पेमाराम व मिश्राराम के परिवार का हिस्सा अलग अलग नहीं था, इसलिये इस संबंध में एक राजस्व वाद पेश किया गया जिसमें पेमा, पारस, लहरो ने इकवाली जवाव पेश किया, उक्त प्रकरण में राजीनामा हो गया था इसलिये अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं किये इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को दिनांक 30.11.1999 को खारीज करते हुए यह आदेश दिये गये कि नियमानुसार सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ सक्षम न्यायालय में वाद पुनः प्रस्तुत कर सकते है। उक्त निर्णय की पालना में अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट चौथाराम, जोगाराम, देमाराम, भेराराम, लेहरोदेवी, शंकरराम ने तो अपीलांटगण के वाद पत्र को स्वीकार कर माफिक इस्तदुआ वाद डिक्री करने में कोई आपति नहीं होने के कथन करते हुए जबावदावा पेश किया। किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 व 05 के अधिवक्ता ने धारा 11 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र इस आशय का पेश किया कि, उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में सन् 1997 में वादी के पिता मिसराराम द्वारा वाद पत्र पेश किया थे जो दिनांक 30.11.1999 को पूर्ण रूप से निर्णित किया गया, अब मिसराराम के देहान्त के बाद उसी वादग्रस्त आराजी के संबंध में नया वाद हेतुक तैयार कर झुठा वाद पत्र पेश किया है, जो रेसज्युडीकेटा से बाधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय तकनीकी बिदुंओं पर पारित किया गया जबकि प्रकरण में तनकीयात कायम कर तनकी वार

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

साक्ष्य ली जाकर निर्णय पारित करना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी के संबंध में पूर्व में सन् 1997 में वादी/अपीलांटगण के पिता मिसराराम द्वारा वाद पत्र पेश किया था जो दिनांक 30.11.1999 को पूर्णरूप से निर्णित किया गया। अब मिसराराम के देहान्त के बाद अपीलाधीन आराजी को लेकर नया वाद हेतुक तैयार कर झूठा वादपत्र पेश किया जो रेज्यूडेकेटा से बाधित है। उक्त नया वाद पूर्व न्याय से बाधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों पर गौर किये बिना पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांटगण के पिता द्वारा पेश राजस्व वाद संख्या 48/1997 में दिनांक 30.11.1999 को निर्णय पारित किया गया उसमें स्पष्ट अंकित किया गया है कि सबूत व दस्तावेजात के अभाव में वादी के वाद पत्र की ताईद न होने से वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं है। वादी नियमानुसार संपर्ण दस्तावेजात के साथ सक्षम न्यायालय में वाद पुन प्रस्तुत कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय गुणावगुण पारित नहीं किया गया तथा वादी को नवीन वाद पेश करने की छूट दी गई। उपरोक्त निर्णय की पालना में ही वादी/अपीलांटगण द्वारा हस्तगत वाद पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद का निस्तारण गुणावगुण पर नहीं किया जाकर तकनीकी बिंदुओं पर पारित किया गया। जबकि हस्तगत वाद में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तनकीयात कायम कर तनकी वार साक्ष्य ली जाकर तनकी वार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 30/2019 बअनवान कानाराम बनाम कालुराम वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.12.2019 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देष के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका दिया जाकर तनकीयात कायम कर कर गुणावगुण पर विधि सम्मत पुनः निर्णय पारित करे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर